राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी लोक अदालत केम्प कोर्ट–माडपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 36 / 2014
दायरा तिथि : 22.05.2014
निर्णय तिथि : 13.05.2017

वादीः–
खीमसिंह पुत्र मोतीसिंह
जाति राजपूत निवासी गुडा पृथ्वीराज
तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कानसिंह पुत्र समरथसिंह
2. जब्बरसिंह पुत्र कानसिंह
3. सवाईसिंह पुत्र समरथसिंह
4. जयसिंह पुत्र रामसिंह
5. स्व. अर्जुनसिंह पुत्र रामसिंह के का.मु.
6. माधोसिंह पुत्र रामसिंह
7. लासकुंवर पत्नि रामसिंह
8. दरीयाकंवर पत्नि नारसिंह
9. भंवरसिंह पुत्र नारसिंह
10. जालमसिंह पुत्र नारसिंह
11. उमा कंवर पुत्री नारसिंह
12. अन्तर कंवर पुत्री नारसिंह
13. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

: निर्णय :

दिनांक : 13.05.2017

दावा बाबत 88, 89, 53, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार, शिविर मादा मे पेश हुई। पक्षकारान् को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये जो शामिल मिसल किये गये। वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 9, 10 उपस्थित। उपस्थित पक्षकारो को सुना गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया प्रकरण का निस्तारण उपलब्ध रिकार्ड के अनुरूप मेरीट पर निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत है।

पेज लगातार––2

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

राजस्व वाद संख्या 36/2014 अनवान खीमसिंह बनाम कानसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा माडपुर के खसरा संख्या 498, 499, 500, 501 से 507, 509 से 516, 521, 522, कुल खसरा 20 कल रकबा 9.56 हैक्टर किस्म चा.दो, जा.दो, गे.मु. मे प्रतिवादी 4 से 7 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 से 12 कर 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादी को विक्रय 1/12 हिस्सा खतेदारी दर्ज है, तथा वादी इसी अनुरूप खातेदारी की घोषणा एवं विभाजन का निवेदन किया गया है जिसे प्रतिवादी भी स्वीकार कर रहे है। अतः उपरोक्त हिस्सो के अनुरूप वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के का.मु. व 6 से 12 के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का माडपुर को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारो मे बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि, लगान ईत्यादि दर्शाते हुये तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **13.05.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

(राजेश सेवड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
देसूरी (पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
दिनांक 13.05.2017

क्रमॉक/केम्प कोर्ट/2017/
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :–

1. तहसीलदार, देसूरी
2. पटवारी हल्का, माडपुर

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
देसूरी (पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–माडपुर

प्रपत्र 5

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) माडपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**

वादीः–

खीमसिंह पुत्र मोतीसिंह
जाति राजपूत निवासी गुडा पृथ्वीराज
तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कानसिंह पुत्र समरथसिंह
2. जब्बरसिंह पुत्र कानसिंह
3. सवाईसिंह पुत्र समरथसिंह
4. जयसिंह पुत्र रामसिंह
5. स्व. अर्जूनसिंह पुत्र रामसिंह के का.मु.
6. माधोसिंह पुत्र रामसिंह
7. लासकुंवर पत्नि रामसिंह
8. दरीयाकंवर पत्नि नारसिंह
9. भंवरसिंह पुत्र नारसिंह
10. जालमसिंह पुत्र नारसिंह
11. उमा कंवर पुत्री नारसिंह
12. अन्तर कंवर पुत्री नारसिंह
13. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

दावा बाबत **88, 89, 53, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
मुकदमा नम्बर :– **36/2014**
निर्णय दिनांक :– **13.05.2017**

वादी की ओर से **वादी अनुपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादी संख्या** 1, 2, 4, 9, 10 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **13.05.2017** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा माडपुर के खसरा संख्या 498, 499, 500, 501 से 507, 509 से 516, 521, 522, कुल खसरा 20 कल रकबा 9.56 हैक्टर किस्म चा.दो, जा.दो, गे.मु. मे प्रतिवादी 4 से 7 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 से 12 कर 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादी को विक्रय 1/12 हिस्सा खतेदारी दर्ज है, तथा वादी इसी अनुरूप खातेदारी की घोषणा एवं विभाजन का निवेदन किया गया है जिसे प्रतिवादी भी स्वीकार कर रहे है। अतः उपरोक्त हिस्सो के अनुरूप वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के का.मु. व 6 से 12 के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का माडपुर को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारो मे बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि, लगान ईत्यादि दर्शाते हुये तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण में नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,देसूरी
केम्प–माडपुर